

## जूट विनिर्मिति विकास परिषद के विषय में

---

यह किसने सोचा होगा कि एक पूर्ण-रूपेण सरकारी निकाय गठित की जाएगी जो किसी तुच्छ तंतु के जीर्ण-शीर्ण से दिखने वाले टुकड़े का संवर्धन करेगी.

पुनः सोचें. वह तंतु जो सामान बांधने तथा आपके पाँव पोछने के काम आता था, आज दीवारों की शोभा है, कई रंग एवं डिजाइन में फर्श को ढंकता है। इतना ही नहीं, इसकी पर्यावरण-हितैषी बुनावट अन्य विविध क्रिया-कलाप करती है

**जूट विनिर्मिति विकास परिषद** भारतीय जूट के संवर्धन हेतु एक राष्ट्रीय एजेंसी है इसका गठन 1983 में भारतीय संसद के अधिनियम के द्वारा हुआ जिसकी अध्यक्षता सचिव, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय करते हैं।

परिषद का मुख्य उद्देश्य जूट उत्पादों को बेहतर विपणन उपलब्ध कराना है, जबकि यह स्वयं बहु-आयामी गतिविधियाँ चलाता है.

**जूट विनिर्मिति विकास परिषद** एक ऐसा निकाय है जिसमें जूट उत्पादक एवं निर्माता तथा जूट उत्पाद के निर्यातक, विशेषज्ञ, उत्पाद में जुटे कर्मियों के साथ-साथ भारत सरकार तथा जूट उत्पादक राज्यों के स्थानीय सरकारों के विभिन्न विभागों समेत सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हैं.

---

**जूट विनिर्मिति विकास परिषद**

भारत सरकार का निकाय

3ए पार्क प्लाजा, 71 पार्क स्ट्रीट,

कोलकाता- 700 016

ई.मेल: [jmdc@giasci01.vsnl.net.in](mailto:jmdc@giasci01.vsnl.net.in)

दूरभाष: (91 33) 2217 2107, 2226 3438, 2217 2540

फैक्स: (91 33) 2217 2456